राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड

सफलता की कहानी

नामान्तरण का प्रकरण सुलझा

ग्राम पंचायत दुधालिया के राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार में 7 जुलाई को पेश हुए प्रकरण मे प्रार्थी भगवान सिंह, पर्वत सिंह पुत्र कालु सिंह पुत्रियां गट्टु कंवर, राम कंवर पुत्रियां कालू सिंह ने परिवाद पेश कर निवेदन किया कि उनके पिता कालू सिंह का देहान्त हो गया है तथा खाते मे उनका नाम व वल्दियत गलत होने से उनका विरासत का नामान्तरण नही खुल पा रहा है। राजस्व रेकार्ड मे कालू सिंह पिता भेरू सिंह के स्थान पर भेरू सिंह पिता कालू सिंह अंकित चला आ रहा है अर्थात् दादा को पिता एवं पिता को दादा बताया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी गंगधार चन्दन दुबे द्वारा प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए मौके पर ही पूर्व राजस्व रेकार्ड, नामान्तरण की नकल एवं उपस्थित ग्रामवासियान से पूछताछ करने पर पाया गया कि प्रार्थीगणों का कथन सही है। इस पर पूर्व नामान्तरण निरस्त किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीयों के पिता का दुरूस्त कर सही नाम कालू सिंह पुत्र भेरू सिंह अंकित किये जाने तथा उनके विरासत का नामान्तरण खुलवाने के आदेश जारी किये गए। प्रार्थीगणों का काफी समय से अटका हुआ काम तत्काल होने पर लोक अदालत में खुशी का माहौल देखने को मिला।

———————

4 वर्ष बाद एक दिन में मिला खातेदारी अधिकार

ग्राम पंचायत दुधालिया के राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार में 7 जुलाई को पेश हुए प्रकरण मे प्रार्थी उमराव सिंह उर्फ शम्भु सिंह पिता भवानी सिंह निवासी ग्राम चाचुर्नी ने परिवाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाचुर्नी के खाता संख्या 23 मे प्रार्थी का नाम उमराव सिंह पुत्र भवानी सिंह दर्ज है जबकि इसी गांव के खाता संख्या 311 मे उसका नाम शम्भु सिंह पुत्र भवानी सिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी को शम्भु सिंह व उमराव सिंह दोनों ही नामो से जाना जाता है। दोनों खातो मे एक ही नाम किया जाना अतिआवश्यक है ताकि प्रार्थी दोनो खातो की भूमि का खातेदार के अधिकारों का उपयोग कर सके। यह कार्य कराने के लिए प्रार्थी पिछले 4 वर्षो से प्रयासरत था।

उपखण्ड अधिकारी गंगधार चन्दन दुबे द्वारा प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए मौके पर ही पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी के पहचान दस्तावेज, नामान्तरण की नकल एवं उपस्थित ग्रामवासियान से पूछताछ करने पर पाया गया कि प्रार्थी का कथन सही है। इस पर राजस्व रेकार्ड मे दोनो खाता संख्या 23 व 311 मे प्रार्थी का नाम उमराव सिंह उर्फ शम्भु सिंह पिता भवानी सिंह दर्ज करने के आदेश जारी किये गए तथा उनका रिकार्ड मे अमल करवाया गया। प्रार्थी का काफी समय से अटका हुआ काम तत्काल होने पर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड गई तथा उसने सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक अदालत कैम्प का धन्यवाद दिया।

———————